फर्द अहकाम

(नियम—26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी
जगदीश फरड़ौदा

बनाम

अप्रार्थीगण
रामदेव वगैरह

मुकदमा नं. 40 / 2021

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
5.06.2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी संयुक्त ओर पुश्तैनी कमाई से क्रय सुदा भूमि ग्राम फरड़ौद तहसील में खसरा नं. 596, 597, 591 के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि अविभाजित भूमि है तथा विवादग्रस्त खेताय की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 का 1/3–1/3 हिस्सा निहीत है। कुछ दिनों से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी से नाराज चल रहे है तथा प्रार्थी का उसके हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहते है, इसी उद्देश्य से कुछ महिने पहले अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ने मिलकर खसरा नं. 591 का दान पत्र बाले बाले ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया है। अभी गांव में चर्चा सुनी है कि बाकी भूमि का दानपत्र भी अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर देगें तथा प्रार्थी को कोई भूमि नहीं देगें। यदि अप्रार्थीगण उक्त खेताय में से जो भूमि कि पुश्तैनी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित भूमि (मौखिक बंटवारा अनुसार) है का बेचान नामा, दानपत्र, हस्तान्तरण रहन, बक्सीस करने तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने में सफल हो जाते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी तथा असुविधा भी प्रार्थीया को ही होगी। अतः जब तक मुतदाविया खेतायों की भूमि का अन्तिम तौर विभाजन/ निस्तारण न हो। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को ग्राम फरड़ौद तहसील के विवादग्रस्त 596, 597, 591 में वर्णित भूमि में से किसी प्रकार का दस्तावेज बैचान हस्तान्तरण करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना तथा प्रार्थीया का हक हिस्सा उक्त भूमि में साबित है। इस प्रकार आंशिक तौर पर अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना प्रतीत होती तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के आंशिक बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को ग्राम फरड़ौद तहसील–जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 596, 597 व 591 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करने बाबत् जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक ....15/07/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
15/07/21	वकील प्रार्थी उप.। गत आदेश की पालना में वास्ते जवाबदेही हेतु तलबी मिसल दिनांक: 02/09/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

2.9.21 पत्रावली प्रस्तुत। अप्रार्थीगण को जारी सम्मन की तामील रिपोर्ट अप्राप्त, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 9.9.22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

9.9.21 पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में दिनांक 3.11.21 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

3/11 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 17.1.22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

17.1.22 अधिकार/पक्षकारान के आधवक्ता
Covid-19
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश
अवकाश पर ... हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 16/3/22
पेश करें।

16.3.22 अधिकार/पक्षकारान के आधवक्ता
बार संघ जायल द्वारा कार्य बहिष्कार
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश
अवकाश पर ... हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 21/6/22
पेश करें।

21/6/22 अधिकार/पक्षकारान के आधवक्ता
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश
अवकाश पर ... हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 8/9/22
पेश करें।

18/7/22 पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज हो गया है। अतः वाद के अभाव में प्रा. पत्र का औचित्य नहीं रहने से प्रा. पत्र 212 R.T. Act का खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

अग्रहीत [illegible]
(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल